



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)  
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर  
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)  
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 7254

दिनांक 03.06.2022

**आदेश**


इस विभाग के आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा मनोरोग विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत मनोरोग विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है:-

**SENIOR PROFESSOR**

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. K.K. Verma	S.C.	04.09.1962

**ASSISTANT PROFESSOR**

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Ankit Awasthi	General	03.08.1983
2.	Dr. Ajitabh Soni	OBC	10.07.1989
3.	Dr. Veerbhan Lal Chanchlani	General	02.11.1975
4.	Dr. Girish Chand Baniya	SC	13.03.1980
5.	Dr. Sunil Suthar	General	11.09.1985
6.	Dr. Bhagyashree Garasia	ST	10.09.1989
7.	Dr. Vikram Singh	OBC	15.08.1979

  
निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

दिनांक

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

  
अति. निदेशक (प्रशा.)

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर